



राजस्थान सरकार वन विभाग

क्रमांक प.1 (137)वन / 2022

जयपुर, दिनांक :--

सहायक महानिरीक्षक, (एफ.सी.डिवीजन), भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाघ रोड, नई दिल्ली—110003

विषय:-Diversion of 248.5515 ha of forest land in favour of DMG, Rajasthan in Pahadpur Block A & B for mining and generation of employment and generation of District in the State of Rajasthan.

संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ. 8-14/2021-एफ (Vol) दिनांक 24.08.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में बिन्दुवार सूचना / रिपोर्ट प्रेषित कर अनुरोध है कि विषयाकिंत प्रस्ताव के संबंध में आवश्यक स्वीकृति शीध्र जारी करवाने का श्रम करावे।

भवदीया,

सलग्न:-उपरोक्तानुसार

(मोनाली सेन) विशेषाधिकारी, वन

Signature yalid

Digitally signed by Morali Sen Designation Deputy Conservator Of Forest Date: 2023.07. 4 3:42:41 IST

Reason: Approved

 $V: {\rm DigiGOV/RajasthaniFileSystemDMSStore} : DigiGOV-Intranet {\rm PDF-4277287_6963648594911070707.does} \\ Raj Kaj Ref No.: 4277287$



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004 6637

क्रमांकः एफ. 16(Mining)2021 / एफसीए / प्रमुवसं /

दिनांक 05-07-23

विशेषाधिकारी.

वन विभाग,

राजस्थान, जयपुर

विषय:- Diversion of 248.5515 ha. of forest land in favour of DMG, Rajasthan in Pahadpur Block A & B for mining and generation of employment and earning of revenue for Government in Bharatpur District in the State of Rajasthan . (Proposal No. FP/RJ/MIN/149012/2021)

संदर्भ:–भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 8-14/2021-F(Vol.) दिनांक 24.08.2022

महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से चाही गई सूचना मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर के पत्रांक 3014 दिनांक 30.06.2023 से प्राप्त हुई है, जो कि निम्नानुसार है:-

S.No.	Observations	Compliance
1	The proposal has now been revised from 248.5515 ha. to 189.2515 ha. excluding the total forest area of 59.30 ha area i.e. 15.30 ha forest land which falling in the Eco- Sensitive Zone of Bandh-Baretha WLS and 44 ha lease area due to some stay order. However, the details of the court case and the copy of the Stay Order have not been provided. A detailed report in this regard shall be submitted.	मुख्य वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार पाषाण उत्पादक सहकारी सिमति (याचिकाकर्ता) के खनन पटटा अंतर्गत 44 हेक्टेयर क्षेत्र आता है। याची द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर SBCWP No- 8028/2004 में पारित आदेश दिनांक 03.12.2004 से स्थगन (status quo) जारी किया गया। प्रकरण में शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2022 को सुना गया जिसमें आगामी तिथि 10.03.2022 नियत की। वर्तमान में स्थगन प्रभावी है। सूचना पार्ट । के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु संख्या 56 पर उपलब्ध है।
2	The State Government shall also inform whether the area of 44 ha. deleted from the diversion proposal due to stay order is required for nonforestry use by the user agency in future. KML file for the areas of 15.30 ha and 44 ha. proposed to be deleted from the original diversion proposal shall also be furnished.	मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर के संदर्भित पत्रानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर SBCWP No- 0028/2004 का निस्तारण होने के उपरान्त 44 हैक्टर वन क्षेत्र के डायवर्जन की कार्यवाही यूजर एजेन्सी द्वारा की जावेगी।
3	Additional Compensatory Afforestation (CA) sites have now been proposed and the CA area earlier proposed on DFL have been deleted. The CA Scheme uploaded on PARIVESH portal	Land Bank. The legal status of the land proposed for the CA is Protected Forest(5094.33Ha) and it was declared by the notification Pa.2(3) Van/2008

4	mentions that the area now proposed for Compensatory Afforestation (CA) are not a part of any land bank. Whereas, it has been mentioned by the DCF in his SIR that the CA area proposed is part of the area handed over to forest department for future diversion proposals. The State Govt shall therefore clearly specify the legal status of the areas proposed for Compensatory Afforestation. In case, CA area is a part of some land bank, the detail of the proposal wise area utilized for CA so far and the balance area shall also be provided. The detailed CA scheme along with the site suitability certificate for CA land has not been provided. In this regard the CA scheme duly giving the details of number of patches, patch wise area, legal status of the land with documentary evidence and other requisite details along with site suitability certificate is required to be submitted.	13.11.2009. The background of this land was allotted by Government order dated on 08.02.2008 and this order mentioned that the land is given in lieu of future forest land diversion cases. The same land was declared as Protected Forest in the vide notification dated 13.11.2009. Copies of the Government allotment order and Notification are annexed. It is also to be considered the same part of the land (398 Ha) was already approved for CA works in an another diversion case FP/RJ/MIN/125714/2021 approved under FCA on 22.03.2021. Hence, it is recommended that the remaining area of the forest land in the similar manner for the CA may be considered in the in this diversion case. मुख्य वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार पार्ट—1 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 4 भागों दर्शाया गया है। जिसके अनुसार 4 अलग—2 नक्शे (DGPS), 4 अलग—2 Patchwise CA Scheme GT sheet पर, marked नक्शे संलग्न है एवं सी०ए० स्कीम का सम्पूर्ण विवरण पार्ट 11 में संलग्न है।
5	Some non-forestry activities like Mining have been observed in the proposed CA patches, which needs clarification.	As per CCF Bharatpur letter dated 28-06-2023 Previously these Revenue Land were under the control of Revenue Department and affected by mining activities in the past and Government decided to stop the mining activities and transferred to Forest Department and the mining activities are stopped and the proposed area is not having any mining activities as mentioned in Ranger Kaman and Ranger Bharatpur report. Details are enclosed in additional information at
6	The State shall ensure that the areas proposed for Compensatory Afforestation are free from all encumbrances and a certificate to this effect shall be submitted.	point no 18 of part II मुख्य वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्रानुसार उप वन संरक्षक द्वारा इस संबंध में स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र (Land suitability certificate) पार्ट ।। में संलग्न कर दिया गया हैं।
7	Based on the observation vide point (iv) in Ministry's letter of even no. dated 24.08.2022, the State Govt. has now uploaded the KML file of Safety zone on PARIVESH portal and analysis of the same through GIS-DSS tool revealed that the safety zone has not been proposed all around the Mining lease. This needs clarification.	पुराने खनन पट्टे एवं नवीन खनन पट्टे में सेफ्टी जोन को अलग अलग रंग में मार्क कर नवीनतम नक्शा पार्ट । के बिन्दु संख्या सी पर अपलोड कर दिया गया है।

8	It is observed in the revised Mining plan that the non-site specific activities like Top soil Dump (4.0 ha.), Dumps (7.50 ha.), Infrastructure (2.50 ha.) are proposed to be carried out in forest land. The State shall explore and carry out the non-site specific activities on non-forest land.	क्षेत्र का डायवर्जन होने के उपरान्त delineation की कार्यवाही कर E-Auction किया जावेगा। प्रत्येक पटटाधारी द्वारा खनन पटटा क्षेत्र में Site Specific and Non Site Specific activities को पृथक से माईनिंग प्लान अनुमोदन कराया जायेगा। (Revised mining plan attached and mentioned in page no:- 32 of mining plan)
9	In addition, 3.3049 ha. forest area in the mining plan is shown as area not to be utilized. in case the area is not to be utilized, there seems to be no justification for including the same in diversion proposal.	मुख्य वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार माईनिंग प्लान में प्रदर्शित 3.3049 हेक्टर वन क्षेत्र को utilized कर संसोधित किया गया। (Revised mining plan attached and mentioned in page no:- 32 of mining plan)
10	30 ha forest land has been designated for Green Belt in the mining plan. However its location within the mining lease is not provided. Moreover, the purpose-wise and component-wise Geo-reference/KML file including proposed Green Belt is not submitted. Therefore, the component-wise layout of the area proposed for diversion along with the KML file shall be uploaded on PARIVESH Portal.	मुख्य वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार माईनिंग प्लान में 2.7255 हैक्टर वन क्षेत्र के Green Belt की योजना प्रत्यावर्तित क्षेत्र में प्रस्तावित है। खनन पट्टाधारी द्वारा लीज अविध में लगभग 11.00 हैक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा। खनन पट्टो का ऑनलाईन ऑक्शन किये जाने के पश्चात वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र चिन्हित होने के उपरान्त के0एम0एल0 फाईल प्रस्तुत करवाई जा सकेगी। (Revised mining plan attached and mentioned in page no:- 32 of mining plan)

अतः उपर्युक्तानुसार प्राप्त सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

भवदीया,

Shiren (शिखा मेहरा) अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 16(Mining)2021 / एफसीए / प्रमुवसं / प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

दिनांक

- 1. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।
- 2. उप वन संरक्षक, भतरपुर।
- 3. अतिरिक्त निदेशक (खान) सतर्कता, पर्यावरण एवं विकास, नोडल अधिकारी वन मामलात, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर।

4. श्री राममंगल, खिन अभियंता, भरतपुर।

(दिनेश कुमार गुप्ता) उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

दिनांक ७०,०६,२७

कमांक एफ () 2021-22/एफसीए/मुवसभ/ ॐ०८५ निमित्त्,

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज. जयपुर ।

विषय:— Diversion of 248.5515 ha. of Forest land in favour of DMG, Rajasthan in Block A and B Paharpur Tehsil — Roopwas, Dist. Bharatpur for mining and generation of employment and earning of revenue for Government in Bharatpur District in the State of Rajasthan. Online Proposal No. FP/RJ/MIN/149012/2021

संदर्भ— आपका ऑनलाईन ई.डी.एस. दिनांक 22.06.2023 एवं उप वन संरक्षक का पत्र क्रमांक 8174 दिनांक 28.06.2023 के क्रम में।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके संदर्भित ऑनलाईन ई.डी.एस. दिनांक 22.06.2023 के कम में उप वन संरक्षक भरतपुर द्वारा बिन्दुवार निम्नानुसार पूर्ति कर प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया है:-

S.No.	Observations	Compliance
.1	बिन्दु 1 के क्रम में 44 हैक्टर वन क्षेत्र हेतु माननीय	उप वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार पाषाण
	न्यायालय में विचाराधीन केस की अद्यतन विस्तृत जानकारी	उत्पादक सहकारी समिति (याचिकाकर्ता) के खनन पटटा अंतर्गत
, '	मय दस्तावेज उपलब्ध नहीं है ।	44 हेक्टेयर क्षेत्र आता है। याची द्वारा माननीय राजस्थान उच्च
*	नय दस्तापण उपरान्य गरा र ।	न्यायालय जयपुर में दायर SBCWP No- 8028/2004 में पारित
		आदेश दिनांक 03.12.2004 (Annexure-1) से स्थगन (status
-		3
		quo) जारी किया गया। प्रकरण में शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पर
* :		माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2022 (Annexure-2)
		को सुना गया जिसमें आगामी तिथि 10.03.2022 नियत की।
		वर्तमान में स्थगन प्रभावी है।
2.	उपर्युक्तानुसार 44 हैक्टर वन क्षेत्र को भविष्य में किस प्रकार	उप वन संरक्षक, भरतपुर के संदर्भित पत्रानुसार माननीय
4, 4	प्रयोग में लाया जाना है। इसकी सूचना /तथ्यात्मक	राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर SBCWP No-
ş**	रिपोर्ट यूजर एजेन्सी ारा किया जाना है।	0028/2004 का निस्तारण होने के उपरान्त 44 हैक्टर वन क्षेत्र के
••		डायवर्जन की कार्यवाही यूजर एजेन्सी द्वारा की जावेगी।
3.	मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर की टिप्पणी उपयुक्त है।	The sites proposed for the CA are not a part of Land
		Bank. The legal status of the land proposed for the CA
-		is Protected Forest(5094.33Ha) and it was declared by
		the notification Pa.2(3) Van/2008 dated 13.11.2009
		and Pa.2(30) Van/2008 dated 13.11.2009. The
		background of this land was allotted by Government
		order dated on 08.02.2008 and this order mentioned
.		that the land is given in the of force of
_		that the land is given in lieu of future forest land
7		diversion cases. The same land was declared as
		Protected Forest in the vide notification dated
		13.11.2009. Copies of the Government allotment

97/2/07

RajKaj Ref No. : 4172303

Signature yalid

Digitally signed by T. Mohan Raj Designation Chief Conservator Of Forest

Date: 2023.06.80 7:32:48 IST

Reason: Approved



	·	Compliance
	Observations	annexed It is also to be
S.No.	Observations	order and Notification are annexed. It is solved order order and Notification are annexed.
		considered the same part of the works in an another
	1	considered the same part of the failed (50 and another already approved for CA works in an another diversion case FP/RJ/MIN/125714/2021 approved diversion case 22.2221 Hence, it is recommended
\		diversion case FP/RJ/MIN/123/14/2021 approved
'		diversion case FP/RJ/MIN/12571/2002 and under FCA on 22.03.2021. Hence, it is recommended under FCA on 22.03.2021 and in the similar
		that the remaining area of the following that the in this manner for the CA may be considered in the in this
		diversion case.
	2 4 1	
	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दो भागों में बताया है जबकि पार्ट-1 में	उप वन सरक्षक भरतपुर के संदोगरा तथा है। जिसके अनुसार 4 क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 4 भागों दर्शाया गया है। जिसके अनुसार 4
	े क्यारे में उपाणा गण है। मख्य वर्ग राज्य ।	
١	ा च्यापा अपनी टिप्पणी प्रस्तावित है। प्रस्तावित वार्य	अलग-2 नक्श (DGPS), 4 अलग-2 Tatellimbe GT sheet पर, marked नक्शें संलग्न है एवं सी०ए० स्कीम का
4.	दिख रही गैर वानिको काया जस खनन आद पर उन न	सम्पर्ण विवरण संलग्न है।
	संरक्षक की टिप्पणी स्पष्ट नहीं है ।	a non-star From 1 to 571
	10 0 4 -0 0 -4 4b man	DCE Pharathir leller dated 20 00
	प्रस्तावित क्षेत्र में दिख रही गैर वानिकी कार्यो जैसे खनन	Devenie Land Well under the control
	आदि पर उप वन संग्धाक की टिप्पणी स्पष्ट नहीं है ।	of Devenue Department and affected by mining
	. /	the past and Government decided to stop
		late the activities and transfelled to lotest
		Descriptions and the mining activities are stopped and
5 .		the managed area is not having any mining activities
		as mentioned in Ranger Kaman and Ranger Bharatpur
		report.
		Details are enclosed as (Annexure-4 Page No:- From 1 to 8)
		िचा वन संरक्षक भरतपर द्वारा इस सब्ध म स्थल उपयुक्तता
	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है।	प्रमाण पत्र (Land suitability certificate) संलग्न कर दिया
6		गया है।
		(1)
	प्रस्ताव में प्रस्तुत नक्शा सही नहीं है। पुराने खनन पट्टे एवं	जिस वर्ज संरक्षक भरतपर के संदर्भित पत्र अनुसार पुरान खनन
	नवीन खनन पट्टे में सेपटी जोन को अलग-अलग रंग में	पट्टे एवं नवीन खनन पट्टे में सेफ्टी जीन की अलग अलग रंग म
7	मार्क कर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करावें एवं नवीन नक्शा	
1.	भाक कर स्पष्ट स्वयं से अपासी पराप प्राप्त राजा गर्मा	(Annexure-6 page no 1 to 6)
	अपलोड प्रस्तुत करावें । परियोजना मे Site Specifie and Non & Site Specific	1 : 2
	activities को पृथक पृथक दिखाया जावें एवं तदनुसार	
	activities की पृथक पृथक दिखाया जाय रेप संपर्धां माईनिंग प्लान भी संशोधित करावें ।	Auction किया जावेगा। प्रत्येक पटटाधारी द्वारा खनन पटटा
0	माञ्चन प्लान ना संस्थावस कराव ।	क्षेत्र में Site Specific and Non Site Specific activities को
8		पृथक से माईनिंग प्लान अनुमोदन कराया जायेगा।
		(Annexure-7 Revised mining plan attached and mentioned in
1		page no:- 32 of mining plan)
	माईनिंग प्लान में प्रदर्शित 3.3049 हेक्टर वन क्षेत्र को no	
-	to be utilized किस योजना अनुसार किया जाना है	ों प्रदर्शित 3.3049 हेक्टर वन क्षेत्र को utilized कर संसोधित
9	प्रोगेसिव माइनिंग प्लान दिया जावें।	किया गया।
	Minist and it was to an analysis	(Annexure-7 Revised mining plan attached and mentioned in
à.		page no:- 32 of mining plan)
10	30 हैक्टर वन क्षेत्र हुँ Green Belt की योजना प्रत्यावर्ति	त जुप वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार माईनिंग प्लान
	क्षेत्र में रखा गया है तदनुसार KML फाईल प्रस्तुत व	त म 2.7255 हक्टर वन क्षत्र के Green Belt का याजना प्रत्यावातत
	जानी है।	वत्र न प्रस्तावित है। खनन पट्टाघारा द्वारा लाज अवाध म लगभग
		11.00 हैक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा। खनन पट्टो का
	•	0:

Digitally signed by T. Mohan Raj
Designation Chief Conservator Of
Forest

Date: 2023.06.80 7:32:48 IST Reason: Approved



RajKaj Ref No.: 4172303

		Compliance
S.No.	Observations	ऑनलाईन ऑक्शन किये जाने के पश्चात वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र
Dit to		ऑनलाईन अविशन किय जान के एस्तिक हुन्स्ति करवाई जा चिन्हत होने के उपरान्त के०एम०एल० फाईल प्रस्तुत करवाई जा
1.	• .	
,	, ·	सकेगी। (Annexure-7 Revised mining plan attached and mentioned in
		(Annexure-7 Revised mining plan accorded and
	1	page no:- 32 of mining plan)
		च परिणं अग्रिम कार्यवाही हेत प्रेषित है।

अतः उक्तानुसार आक्षेप पूर्ति उपरान्त प्रस्ताव मय दो हार्ड प्रतियां अग्रिम

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ. टी. मोहन राज) मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर दिनांक

कमांक एफ् () 2021-22/एफसीए/मुवसभ/ प्रतिलिपी:-

1. उप वन संरक्षक, भरतपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

Signature yalid

Digitally signed by T. Mohan Raj Designation Chief Conservator Of

Date: 2023.06.80 7:32:48 IST Reason: Approved



RajKaj Ref No.: 4172303



(100) (100)

कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांकः एफ.()FCA/उवस/2023/ 8174

दिनांक : 28 | 6 | 2_3

निमित्त.

मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

विशय:-Diversion of 189.2515 ha of forest land in favour of OMG, Rajasthan in PahadpurBlock A & B for mining and generation of employment and earning of revenue for Government in Bharatpur District in the State of Rajasthan- (Proposal No- FP/RJ/MIN/149012/2021)

संदर्भ:--कार्यालय सहायक अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, रूपवास जिला भरतपुर के पत्र कमांक रपे0-1 दिनांक 27.06.2023 के कम में।

महोदय.

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र के कम में दिनांक 22.06.2023 को की गई बैठक में दिये गये निर्दे ोां की पालना निम्नानुसार है:—

	Δ_	अनुपालना
S.no.	विवरण	
1	विन्दु 1 के क्रम में 44 हैक्टर वन क्षेत्र हेतु माननीय न्यायालय में विचाराधीन केस की अद्यतन विस्तृत जानकारी मय दस्तावेज उपलब्ध नहीं है ।	(याचिकाकर्ता) के खनन पटटा अंतर्गत ४४ हेक्टेयर क्षेत्र आता है। याची द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर
,		SBCWP No- 8028/2004 में पारित आदेश दिनांक 03.12,2004
		(प्रति संलग्न) से स्थगन (status quo) जारी किया गया। प्रकरण में शीघ सुनवाई प्रार्थना पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2022 (प्रति संलग्न) को सुना गया जिसमें आगामी तिथि 10. 03.2022 नियत की। वर्तमान में स्थगन प्रभावी है।
		(Annexure-1)
-	उपर्युक्तानुसार 44 हैक्टर वन क्षेत्र को भविष्य में किस प्रकार प्रयोग में लाया जाना है। इसकी सूचना / तथ्यात्मक रिपोर्ट यूजर एजेन्सी द्वारा किया जाना	यूजर एजेन्सी के अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर SBCWP No- 0028/2004 का निस्तारण होने के उपरान्त 44 हैक्टर बन क्षेत्र के डायबर्जन की कार्यवाही जावेगी।
	है।	(Annexure-1)
	मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर की टिप्पणी उपयुक्त है।	The sites proposed for the CA are not a part of Land Bank. The legal status of the land proposed for the CA is Protected Forest(5094.33Ha) and it was declared by the notification Pa.2(3) Van/2008 dated 13.11.2009 and Pa.2(30) Van/2008 dated 13.11.2009. The background of this land was allotted by Government order dated on 08.02.2008 and this order mentioned that the land is given in lieu of future forest land diversion cases. The same land was declared as Protected Forest in the vide notification dated 13.11.2009. Copies of the Government allotment order and Notification are annexed. It is also to be considered the same part of the land (398 Ha) was already approved for CA works in an another diversion case FP/D//MIN/1257.14/2021 approved under FCA on 22.03.2(2) [Order 15 [John et 2] [Joh

V:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\DBF(4202306381352i2) RajKaj Ref No. : 4162300 Reason: Approved



Scanned with CamScanner

	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दो भागों में बताया है जबकि	पार्ट-1 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 4 भागों दशाया गया है।
4		िनमके अनुसार 4 अलग—2 नक्श (DGPS), 4 अलग—2
	पार्ट-1 में इन्हें चार भागा ने परााया निकार है। वन सरक्षक तदनुसार अपनी टिप्पणी प्रस्तावित है।	Patchwise CA Scheme GT sheet पर, marked नक्शें
1	वन संरक्षक तदनुसार अपना विकास कार्यों जैसे प्रस्तावित क्षेत्र में दिख रही गैर वानिकी कार्यों जैसे	
1	प्रस्तावित क्षेत्र में दिखे रही गर वा विष्णि स्पष्ट खनन आदि पर उप वन संरक्षक की टिप्पणी स्पष्ट	संलग्न है।
		Page No:- from 40 to 52
	नहीं है । प्रस्तावित क्षेत्र में दिख रही गैर वानिकी कार्यो जैसे	Previously these Revenue Land were under the control of
5	खनन आदि पर उप वन संरक्षक की टिप्पणी स्पष्ट	Revenue Department and affected by mining activities in
	नहीं है ।	the past and Government decided to stop the mining
	761 6 1	activities and transferred to Forest Department and the
1		mining activities are stopped and the proposed area is not
1 .		having any mining activities as mentioned in Ranger
1		Kaman and Ranger Bharatpur report.
	,	Page No:- from 53 to 60
6	उप वन संरक्षक, भतरपुर द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है।	User agency submitted the certificate on land which is free from all encumbrance are the same is mentioned in
"		Ranger Kaman and Ranger Deeg report. This office is
1	+2	also agreed to this. Page No:- from 53 to 60
		DCF land suitability certificate Page No:-61
	के कार्य करणा गरी नहीं है। एसने खतन	यूजर एजेन्सी के अनुसार पुराने खनन पट्टे एवं नवीन खनन पट्टे में
7	प्रस्ताव में प्रस्तुत नक्शा सही नहीं है। पुराने खनन पट्टे एवं नवीन खनन पट्टे में सेपटी जोन को	संपटी जोन को अलग अलग रंग में मार्क कर नवीनतम नक्शा
	अलग-अलग रंग में मार्क कर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित	अपलोड किया। प्रति संलग्न है।
	करावें एवं नवीन नक्शा अपलोड प्रस्तुत करावें ।	(Annexure-1)
	परियोजना में Site Specifie and Non & Site	युजर एजेन्सी के अनुसार बन क्षेत्र का डायवर्जन होने के उपरान्त
8	Specific activities को पृथक- पृथक दिखाया जावें	delineation की कार्यवाही कर E-Auction किया जावेगा। प्रत्येक
	एवं तदनुसार माईनिंग प्लान भी संशोधित करावें ।	पटटाधारी द्वारा खनन पटटा क्षेत्र में Site Specific and Non Site
	र्ष त्युतार नाहाना राज ना तराव्या कराव ।	Specific activities को पृथक से माईनिंग प्लान अनुमोदन कराया
		जायेगा।
		Annexure-1 के Mining Plan के Page No- 30 एंय 35 की प्रति
		संलग्न है।
9	गाईनिंग प्लान में प्रदर्शित 3.3049 हेक्टर यन क्षेत्र को	यूजर एजेन्सी के अनुसार माईनिंग प्लान में प्रदर्शित 3.3049 हेक्टर
	not to be utilized किस योजना अनुसार किया	दन क्षेत्र को utilized कर संसोधित किया गया। Annexure-1 के
	जाना है। प्रोगेसिव माइनिंग प्लान दिया जावे।	माईनिंग प्लान के Page No- 35 की प्रति संलग्न है।
10	30 हैयटर यन क्षेत्र के Green Belt की योजना	यूजर एजेन्सी के अनुसार माईनिंग प्लान अनुसार 2.7255 हैक्टर वन
	प्रत्यायर्तित क्षेत्र में रखा गया है तदनुसार KML	क्षेत्र के Green Belt की योजना प्रत्यायर्तित क्षेत्र में प्रस्तावित है।
	फाईल प्रस्तुत की जानी है।	खनन पट्टाधारी द्वारा लीज अवधि में लगभग 11.00 हैक्टर क्षेत्र में
		वृक्षारोपण किया जावेगा माईनिंग प्लान के Page No- 32 एवं 33 की
1	1	प्रति संलग्न है।(Annexure-1)

संलग्नः-उपरोक्तानुसार

(रवि कुमार मीणा) उप वन संरक्षक भरतपुर

क्रमांकः एफ() FCA/उवसं / 2023 / दिनांकः प्रतिलिपि:— अति0 प्रधान मुख्य वन सरंक्षक(कैम्पा) राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है।

Signature अव्यक्तिपर

Digitally signed by Ravi Lumar Meena Designation Reputy Conservator Of Forest

V:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\P8\4202306.88 3571499240395.docx

